

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 143/2017

बउनवान

सुरेन्द्र पुत्र हेमराज जाति-धाकड निवासी-फूसरा तहसील-बारां
जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री ललित नागर अभिभाषक

2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक- 11.10.2018



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 07.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-खेडी, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 360 रकबा 0.60 हैक्टर किसम चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 450/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जयें रिपोर्ट पर, काल्पनिक तौर पर अतिक्रमी मानकर, सजायाबंद आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय आराजी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 07.10.2015 निरस्त फरमया जाकर अपीलांट को रिहा किया जायें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई भवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाबंद किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, बारां

—(३५०)

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड़ दिया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। उसके विरुद्ध कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 995/14 निर्णय दिनांक 19.12.2014 से बेदखल किया गया है। अपीलांट आदतन अतिक्रमी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आधोपात अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी किस्म चारमाह पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पूर्व में मिसल नम्बर 995/14 निर्णय दिनांक 19.12.2014 से बेदखल किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। उक्त निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट को उक्त निर्णय पाये जाने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जिला न्यायालय प्रकरण संख्या 1114/15 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2015 को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2015 को जजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

(डॉ०एस०पी०सिंह)
जिला न्यायालय, बारां

Web Copy - Not Official